

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/हिनि/28129(छात्रवृत्ति)/2020-21

दिनांक:- 19-08-2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा),
समस्त प्राचार्य डाईट,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय :- हितकारी निधि योजनान्तर्गत एक मुश्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण की अन्तिम तिथि 19.10.2020

हितकारी निधि माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के विभागीय कार्मिक जो सेवा में कार्यरत है (संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर), समस्त वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा Xth की परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये है, प्रति छात्र/छात्रा को 11,000/- रुपये एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, यह सहायता राशि हितकारी निधि के 2018-19 से नियमित अंशदाता को देय होगी। योजना का लाभ उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जिन्होंने सत्र 2020 में परीक्षा उत्तीर्ण (परीक्षा परिणाम जुलाई 2020) की हो। प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किया जावे:-

- 01 योजनान्तर्गत शिक्षा विभागीय कार्मिक के पुत्र/पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित Xth की परीक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण की हो।
- 02 विभागीय कार्मिक के पुत्र/पुत्री द्वारा 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र होंगे।
- 03 योजनान्तर्गत 950 छात्र/छात्रा Xth(secondary) के एवं 50 छात्र/छात्राएँ वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत के उत्तीर्ण हो को देय है।
- 04 प्राप्तांक का आधार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा Xth(secondary) के प्राप्तांक है, तथा टॉप 1000 छात्र/छात्राओं को यह राशि प्रदान की जावेगी।
- 05 सहायता राशि हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है, तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मैरिट के आधार पर सूची तैयार कर राशि प्रदान की जावेगी।
- 06 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा।
- 07 वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जानी है।
- 08 यह सहायता राशि वर्ष जुलाई 2020 में आये परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए है, पर लागू होगी।
- 09 अपूर्ण प्रार्थना-पत्र एवं देरी से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, अतः ऐसी स्थिति में एवं निरस्त प्रार्थना-पत्र के बारे में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

२२५

10. कार्मिक के पुत्र/पुत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर या अन्य राजकीय स्रोतों से इस प्रकार की कोई छात्रवृत्ति प्राप्त की हो, वे पात्र नहीं होंगे।
11. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ई0सी0एस0 की जरिये जमा की जावेगी, इस बाबत अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।
12. संस्था प्रधान एवं अग्रगण्य करने वाले अधिकारी गण उक्त बिन्दुओं के बारे में आश्वस्त होने के उपरान्त प्रार्थना-पत्र अनुशंसा सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता सचिव, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित किया जावे।

५
२१-५१

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर, अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. पंजियक शिक्षा विभागीय परिक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
8. सम्पादक शिविरा पत्रिका वास्ते प्रकाशनार्थ।
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट, शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

५
२१-५१

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

हितकारी निधि
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि से शिक्षा विभागीय समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक) के बच्चों के लिये माध्यमिक बोर्ड अजमेर की सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना का प्रार्थना-पत्र

- 1 कर्मचारी का नाम
- 2 कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
- 3 कर्मचारी का स्थाई पता
- 4 टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर
- 5 हितकारी निधि अंशदान 2018-19, 2019-20 की ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें।
- 6 कर्मचारी की Employe ID संख्या
- 7 छात्र/छात्रा का नाम एवं सम्बन्ध
- 8 छात्र/छात्रा द्वारा जिस राजकीय शाला में अध्ययन करते हुए सैकण्डरी/ वरिष्ठ उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त किये है, का नाम
- 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति एवं प्राप्तांक प्रतिशत।
- 10 कार्मिक का बैंक खाता विवरण पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या निरस्त चैक

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद
एवं कार्यरत स्थान

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) से अग्रेसित करवाया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पद एवं पदस्थापन स्थान जो मेरे अधिन कार्यरत है, इनके पुत्र/पुत्री शिक्षण सत्र 2019 में राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए सैकण्डरी (secondary) की परीक्षा उत्तीर्ण कर 70% या 70% से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किये है अतः इनका प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अनुशंसा सहित अग्रेसित किया जाता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0
(मुख्यालय)
(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)